न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या : 201/2018 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (R.C.M.S . no 2018/00127)

शैलेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी धावई की हवेली गुसाईपाडा करौली तहसील व जिला करौली।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी मकान नम्बर 75 जादौन नगर डी दुर्गापुरा जयपुर।
2. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी धावाई की हवेली गुसाईपाडा करौली तहसील व जिला करौली।
3. तहसीलदार हिण्डौनसिटी जिला करौली।
4. तहसीलदार करौली व जिला करौली।

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध हर दो आदेश दिनांक 21.8.2018 जिला कलक्टर करौली व मुकदमा संख्या 69/2016 शैलेन्द्रसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह व आदेश दिनांक 4.8.2016 तहसीलदार हिण्डौनसिटी बाबत नामान्तरकरण संख्या 2973 दिनांक 17.2.2009 तहसीलदार करौली।

उपस्थितिः—

1. श्री प्रमोद उपमन वकील अपीलान्ट
2. श्री सुगडसिंह वकील रैस्पोडेन्ट।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांकः— 26.9.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर करौली के निर्णय दिनांक 21.8.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने तहत अदालत के समक्ष अपील पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0न0 4762 रकबा 0.15, ख0नं0 4763 रकबा 4.04 ख0नं0 4764 रकबा 2.05 किता—3 रकबा 7.4 बीघा ग्राम करौली का नामान्तरकरण संख्या 2973 निर्णय दिनांक 17.2.2009 जो कि फैमिली अरेंजमेण्ट के अनुसार लक्ष्मीनारायण सिंह पुत्र अंगद जाति गुर्जर धाबाई के बजाय धर्मसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायणसिंह व राजेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायणहि जाति गुर्जर के नाम निर्णित हुआ। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन हो गया। इस नामान्तरकरण की अपील अपीलान्ट शैलेन्द्रसिंह ने जिला कलक्टर करौली के यहां इस विवरण के साथ प्रस्तुत की गई कि आराजी खसरा नम्बर 4762, 4763, 4764 अपीलान्ट के हिन्दु संयुक्त परिवार की अविभाज्य

सम्पत्ति आय से खरीदी हुई भूमि है एवं परिवार में स्व0 लक्ष्मीनारायण सिंह पुत्र अंगद सिंह व अपीलान्ट के पिता राजेन्द्रसिंह एवं चाचा धर्मेन्द्रसिंह संयुक्त तौर पर निवास करते है। यह भूमि अविभाज्य संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति है तथा अपीलान्ट इस संयुक्त परिवार का सदस्य है इसलिऐ इस आराजीयात में अपीलान्ट का संयुक्त हिस्सा 1/4 है। उक्त आराजीयात की खातेदारी लक्ष्मीनारायण सिंह परिवार के पिता एवं बडा सदस्य होने के कारण राजस्व रिकार्ड में अंकित हुई है । लक्ष्मीनारायण का इस आराजीयात में हिस्सा 1/4 रहा है एवं 1/4 राजेन्द्रसिंह का तथा 1/4 हिस्सा धर्मेन्द्रसिंह का रहा है। पारिवारिक समझौता में बंटवारा प्रोपर स्टाम्प पर नहीं है न ही रजिस्टर्ड है इसलिऐ विधिक नहीं है । लक्ष्मीनाराण के दो पुत्रीयां कमला व विद्यादेवी तथा एक बहिन धर्मेन्द्र कुमारी है। उन्हें भी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। लक्ष्मीनारायण सिंह के फौत हो जाने के बाद उनके दस्तखती पडे हुऐ स्टाम्प पर जो इकरारनामा के लिये खरीद किया गया है उस पर कूटरचित तरीके से फर्जी कार्यवाही की गई है। इसलिऐ अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 2973 दिनांक 17.2.2009 अपास्त करने हेतु निवेदन किया गया है। न्यायालय जिला कलक्टर करौली द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई के बाद निर्णय दिनांक 12.11.2014 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2973 दिनांक 17.2. 2009 निरस्त कर पत्रावली तहसीलदार करौली के लिये इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि उक्त प्रकरण में मौके एवं रिकार्ड की जांच कर नये सिरे से पुनः गुणावगुण के आधार पर विधिवत आदेश पारित करें। कलक्टर करौली के यहां अपीलान्ट शैलेन्द्रसिंह ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर कलक्टर करौली ने निर्णय दिनांक 30.11.2015 से प्रकरण तहसीसलदार करौली से तहसीलदार हिण्डौन के लिये स्थानान्तरित कर दिया। परन्तु अपीलान्ट ने एक मुन्तकिल प्रार्थना पत्र दिनांक 2.8.2016 कलक्टर करौली के समक्ष पेश किया जिसमें सुनवाई की तारीख 8.8.2016 नियत की गई। परन्तु तहसीलदार हिण्डौन ने दिनांक प्रकरण 4.8.2016 को इस प्रकार निर्णय पारित किया कि '' उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 4762, 4763, 4764 कुल किता–3 रकबा 7.4 बीघा कस्बा करौली बी स्थित है जो स्व0 लक्ष्मीनाराण सिंह पुत्र अंगद सिंह जाति गुर्जर के नाम दर्ज खातेदारी अंकित है, को उनके जायज वारिसान धर्मकुमारी बेबा लक्ष्मीनारायण सिंह, राजेन्द्रसिंह, धर्मेन्द्रसिंह पिसरान लक्ष्मीनारायण सिंह, कमला विद्या पुत्रीयान लक्ष्मीनारायणसिंह जाति गुर्जर हिस्सा बराबर को जरिये नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये जाते है'' । इस आदेश दिनांक 4. 8.2016 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से कलक्टर करौली के समक्ष अपील पेश की गई। कलक्टर करौली ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.8.2018 पारित करते हुये स्पष्ट किया कि ''यह प्रकरण विधिक रूप से वारिसों का सम्पत्ति संबधित है। जिसमें अपीलान्ट के पिता के नाम भूमि प्राप्त हो गई थी। यह प्रकरण तहसीलदार हिण्डौन के निर्णय दिनांक 4.8.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार हिण्डौन के निर्णय दिनांक 4.8.2016 में हम किसी प्रकार से संदेह नहीं कर सकते है। अपील अपीलान्ट सारहीन, तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तहसीलदार हिण्डौन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.8.2016 यथावत सरखा जाता है''। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि हर दो तहत अदालतों के आदेश क्रमशः जिला कलक्टर करौली 21.8.2018, तहसीलदार हिण्डौन 4.8.2016 न्यायसंगत नहीं कहे जा सकते क्यों कि तहत अदालत ने इस

तथ्य पर गौर नहीं किया अपर जिला न्यायाधीश करौली के समक्ष पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है। जिसमें पक्षकारान के अधिकार स्वत्व तय होने है, लेकिन तहत अदालत ने मात्र स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज होने से ही यह मान लिया कि अपील में वर्णित आराजी में अपीलान्ट का कोई हित निहित नहीं है जो गलत है, क्यों कि प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्वामित्व व हक अधिकार तय नहीं होते है फिर भी अदालत तहत ने अपीलान्ट की अपील खारिज करने में भारी भूल की है। यह कि तहत अदालत ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी से संबधित नियमित वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश करौली के समक्ष विचाराधीन है जिसमें पक्षकार के अधिकार व स्वत्व तय होना है इसमें तहत अदालत का यह कर्तव्य था कि वह अपीलाधीन आदेशों को निरस्त करके नियमित वाद के निर्णय पर कार्यवाही करने के आदेश पारित करती लेकिन तहत अदालत ने अपीलान्ट की अपील को अपील खारिज करने में भारी भूल की है। यह कि अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष अपील को सक्षम न्यायालय (न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर) के समक्ष स्थानान्तरण करने हेतु आवेदन भी पेश किया जो शामिल पत्रावली है, लेकिन अदालत तहत ने फिर भी अन्तिम निर्णय कर अपील अपीलान्ट खारिज करने में भारी भूल की है। यह कि आराजी खसरा नम्बर 4762/0.15, 4763/4.04, 4764/2.05 किता–3 रकबा 7.4 बीघा वाकै करौली तहसील व जिला करौली में स्थित है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.8.2018 के आधार पर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलान्ट को आराजी से जबरन बेदखल करने की धमकी दी है क्यों कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलान्ट के पैतृक अधिकारों से वंचित करना चाहते है। अगर रैस्पोडेन्ट अपनी इस धमकी में सफल हो गये तो अपीलान्ट को एक असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से अपीलान्ट को करा पाना संभव नहीं होगा। यह कि तहसीलदार हिण्डौन ने बिना किसी सुनवाई के एकतरफा में आलौच्य आदेश दिनांक 4.8.2016 रैस्पोडेन्टस से प्रभावित होकर विधि विरूद्ध रूप से पारित कर अपीलान्ट की नामान्तरकरण अपील को खारिज फरमा दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर गौर नहीं किया कि प्रकरण में अन्तवर्लित भूमि वर्तमान में खातेदारी काश्त की ना होकर आवासीय प्रयोजन में आ रही है जिसमें मिन अपीलान्ट का जन्म से हिस्सा निहित रहा है तथा उक्त आराजीयात विधि अनुसार अविभाज्य रही है तथा रैस्पोडेन्ट को इसे विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट का दावा विभाजन हेतु तत्समय माननीय अपर जिला जजी करौली के समक्ष मुकदमा नं0 35/14 उनवानी शैलेन्द्रसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह पेश किया हुआ था जो वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार स्थानान्तरित किये जाने पर न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश करोली के समक्ष आज भी विचाराधीन है तथा न्यायिक दृष्टान्त सूरजकरण बनाम छीतर एण्ड आदर्श आरआरटी 2009 (2)पेज 1225 के अनुसार जब पक्षकार के मध्य उनके अधिकारों के संबध में कोई नियमित वाद विचाराधीन है तो राजस्व न्यायालय को नामान्तरकरण रोका जाना चाहिऐ था। अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में उच्च राजनैतिक दबाब में आकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह कि आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने विवादित भूमि का मौका ना तो स्वयं देखा और ना ही मातहतों से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई यदि मौका रिपोर्ट मंगवाई जाती तो स्थिति स्पष्ट हो जाती कि वर्तमान में भूमि पर काश्त न होकर आवासीय प्रयोजन में आ रही है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को पैतृक भूमि के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है । रैस्पोडेन्ट अपीलाधीन आदेश की आड में रैस्पोडेन्ट को बेदखल करने पर आमादा है। इसलिऐ रैस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जावे कि रैस्पेडेन्ट अपीलान्ट की आराजी में मदाखलत

मजाहमत नहीं करें। ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे अपीलान्ट के हकों पर विपरीत प्रभाव पडे। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त एआईआर 2013 एस सी पेज 3525, आरआरडी एचसी पेज 376, आरआरडी 1981 पेज 512, आरआरडी 1982 पेज 493, की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि उपर्युक्त समस्त तथ्यों पर गौर फरमाते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर हर दो तहत अदालतों के आदेश दिनांक 21.8.2018 न्यायालय जिला कलक्टर करौली व आदेश दिनांक 4.8.2016 न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन सिटी निरस्त फरमाये जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत जिला कलक्टर करौली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.8.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि तहसीलदार हिण्डौन के आदेश दिनांक 4.8.2016 के विरूद्ध अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील संख्या 104/16 प्रस्तुत कर दी और दूसरी अपील कलक्टर करौली के समक्ष पेश कर दी । इस संबध में रैस्पोडेन्ट ने उज्रदारी की है कि एक ही आदेश की दो अपील पोषणीय नहीं है। इस उज्रदारी के विचाराधीन रहते जिला कलक्टर करौली ने प्रकरण में 21.8.2018 को निर्णय पारित करते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। इस आदेश की भी अपील संख्या 201/2018 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी। उक्त दोनों ही अपीलों में रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस यह है कि ख0नं0 4762, 4763, 4764 का खातेदार काश्तकार लक्ष्मीनारायण सिंह था जिसके स्वर्गवास के बाद विरासत नामा0सं0 2973 दिनांक 17.2.2009 को तहसीलदार करौली द्वारा धर्मसिंह एवं राजेन्द्रसिंह के हक में पारिवारिक समझौतानामा के अनुसार स्वीकृत कर दिया जबकि स्व0 लक्ष्मीनारायण की मृत्यु के समय उसने अपने पीछे अपनी विधवा पत्नी धर्मकुमारी व दो पुत्रीयां कमला व विद्या को भी छोडा है। अपीलान्ट शैलेन्द्र कुमार रैस्पोडेन्ट राजेन्द्रसिंह का पुत्र है जो उत्तराधिकार अधिनियम की धारा –8 के अनुसार प्रथम सूची का वारिस नहीं है। अपीलान्ट ने नामा0 2973 के विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलक्टर करौली के समक्ष प्रस्तुत की गई। कलक्टर करौली द्वारा प्रकरण को आदेश दिनांक 12.11.2014 से मृतक लक्ष्मीनारायण सिंह के विधिक वारिसान के संदर्भ में पुनः विधिवत सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। दौराने रिमाण्ड प्रकरण पर सुनवाई अपीलान्ट के मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र पर प्रकरण को तहसीलदार करौली से तहसीलदार हिण्डौन स्थानान्तरित किया गया । तहसीलदार हिण्डौन ने प्रकरण में दिनांक 4.8.2016 को गुणावगुण के अधार पर विधिवत निर्णय पारित करते हुये स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण के सभी विधिक वारिसान के हक में नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये गये। जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया। उसके उपरान्त अपीलान्ट के पिता रैस्पोडेन्ट संख्या –1 राजेन्द्रसिंह ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया। यह कि तहसीलदार हिण्डौन के आदेश की वैद्यता जिला कलक्टर करौली द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट की गई है। इसके अलावा अपीलान्ट का हित नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही में निर्णित नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि विवादित आराजी का खातेदार स्व0 लक्ष्मीनारायणसिंह था जिसके स्वर्गवास के बाद नामान्तरकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की प्रथम सूची के अनुसार निर्णित होगा। स्व0 लक्ष्मीनाराण के प्रथम श्रेणी के वारिस क्रमशः लक्षमीनारायण के दो पुत्र दो पुत्रीया एवं विधवा पत्नी हुये। अपीलान्ट प्रथम श्रेणी का वारिस किसी भी सूरत में नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। अपीलान्ट का यह तर्क कि विवादित आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति है जिसमें अपीलान्ट का जन्म से ही अधिकार है के संबध में इस तरह के जटिल प्रकरण सक्षम न्यायालय से ही तय हो सकते है ना कि नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही में यह मत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने आर0आर0डी 2008 पेज 383 कैलाशचंद बनाम श्रीमती छोटी में तय किया गया है । इसके अलावा विभिन्न माननीय न्यायालयों के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही में हक–हकूक तय नहीं किये जा सकते है। यह कि अपीलान्ट के पिता रैस्पोडेन्टस संख्या –1 राजेन्द्रसिंह के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हो जाने के बाद राजेन्द्रसिंह ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा अन्य को बेचान कर दिया है और खरीद्दार के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत हो चुका है। यह तथ्य जिला कलक्टर करौली ने अपने अपीलाधीन आदेश में भी स्पष्ट किया है। अपने कथनों के समर्थन में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2008 पेज 383, आरआरडी 1998 पेज 254, आरआरडी 1998 पेज 553, आरआरडी 2009 पेज 123, आरआरडी 2011 पेज 388 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये हर दो अदालतों के निर्णय क्रमश जिला कलक्टर करौली 21.8.2018 एवं तहसीलदार हिण्डौन 4.8.2016 यथावत रखे जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। वास्तव में यह प्रकरण मृतक लक्ष्मीनारायण के विधिक वारिसानों की सम्पत्ति से संबधित है। दौराने सुनवाई यह तथ्य स्पष्ट है कि विवादित भूमि लक्ष्मीनारायण द्वारा दिनांक 11.4.1974 को जरिये रजिस्टर्ड क्रय की गई थी अर्थात विवादित आराजी मृत लक्ष्मीनारायणसिंह की स्वअर्जित भूमि थी । विधिक वारिसानों की स्थिति स्पष्ट करने एवं उनकी विधिवत सुनवाई हेतु जिला कलक्टर करौली द्वारा निर्णय दिनांक 12.11.2014 से प्रकरण तहसीलदार हिण्डौन के लिये रिमाण्ड किया गया । परीक्षण न्यायालय में दौराने सुनवाई यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि स्व0 लक्ष्मीनाराण के कुल पांच विधिक वारिस है जो जीवित है और उनके द्वारा परीक्षण न्यायालय में इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जो निम्न प्रकार है– (1) धर्मकुमारी बेबा लक्ष्मीनारायण सिह (2) राजेन्दसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण सिह (3) धर्मेन्दसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण सिह (4) कमलादेवी पुत्री लक्ष्मीनारायण सिह (5) विद्यादेवी पुत्री लक्ष्मीनारायण सिह इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। अपीलान्ट प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं है। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन द्वारा दिनांक 4.8.2016 को गुणावगुण के आधार पर विधिवत निर्णय पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटी नहीं रहती है। अपीलान्ट शैलेन्द्र कुमार रैस्पोडेन्ट–1 राजेन्द्रसिंह का पुत्र है जो उत्तराधिकार अधिनियम की धारा –8 के अनुसार प्रथम सूची का वारिस नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि स्वयं अपीलान्ट द्वारा जो दावा न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली के यहां प्रस्तुत किया है उसमें स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण का जो शजरा अंकित किया है उसमें अपीलान्ट ने स्वयं अपने आपको अनुसूची प्रथम के दायदों में शामिल ही नहीं किया गया है । तहसीलदार हिण्डौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.8.2016 स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण के पांचों विधिक वारिसान के हक में नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किये गया है जो न्यायोचित रहता है। दौराने रिकार्ड अवलोकन यह यह भी स्पष्ट हो चुका है कि लक्ष्मीनारायण के फौत

हो जाने के बाद भू–राजस्व अधिनियम के तहत नियमानुसार विधिक रूप से वारिसों के नाम दर्ज होने के बाद अपीलान्ट के पिता रैस्पोडेन्ट नम्बर–1 के द्वारा अपने हिस्से में आयी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.5.2014 से अन्य को उचित प्रतिफल लेकर विक्रय किया जा चुका है जिसके राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज भी हो चुके है। अपीलान्ट के पिता वर्तमान में जीवित है ओर इस मुकदमें में रैस्पोडेन्ट नम्बर –1 की हैसियत से पक्षकार मुकदमा है वह भी इस तथ्य से इन्कार नहीं करते है। लिहाजा विवादित आराजी पर अपीलान्ट का उत्तराधिकार अधिनियम की धारा –8 के अनुसार प्रथम सूची का वारिस नहीं होने के बाबजूद भी उज्रदारी किये जाने का अब कोई औचित्य नहीं रहता है। इसके अलावा अपीलान्ट का यह कहना कि हक–हकूकी का दावा सक्षम सिविल न्यायालय में विचाराधीन है तो वे इस बाबत स्वतन्त्र रहते है और अपना हक साबित करावें चूंकि दौराने सुनवाई अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत अथवा किसी सक्षम अदालत का अन्तिम निर्णय अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त विवादित आराजी पर अपीलान्ट के क्लीयर स्वत्व (हक–हकूक) तय किये जा चुके हो अथवा कोई स्थगन आदेश प्रभावी हो। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही में हक–हकूक तय किया जाना मुनासिब नहीं रहता है। वास्तव में नामान्तरकरण एक आर्थिक प्रकिया है नामान्तरकरण न्यायिक प्रकिया नहीं है। अर्थात इससे हक–हकूक तय नहीं किये जा सकते। इससे यह तय हो जाता है कि कौन कृषक भूमि का लगान देगा। इस प्रकार हर दो तहत अदालतों के निर्णय नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर पारित किये गये है जिनमें हम कोई विधिक त्रुटी नहीं पाते है लिहाजा यह अपील आधारहीन होने से काबिले खरिजी के ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा परीक्षण न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन का निर्णय दिनांक 4.8.2016 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 21.8.2018 में कोई विधिक त्रृटी न होने के कारण यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज दिनांक 26.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official